

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 4, 1972/पौषा 14, 1893
No. 3] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 4, 1972/PAUSA 14, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 4th January 1972

No. DRAWBACK/PN-1/72.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extra Ordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971, with immediate effect:—

Proviso No. (3) under Sub-Serial No. 3608 shall be omitted.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 1972

सं० प्रतिअदायगी/पी०एन०-1/72.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क प्रति-अदायगी नियमावली, 1971 (दिनांक 25 अगस्त, 1971 के भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-डी०बी०के०) के नियम 4 के अधीन भारत सरकार, एतद्वारा, 15 अक्टूबर, 1971 की सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी०एन०-1 में प्रकाशित सारणी में निम्नलिखित संशोधन करती है, जो तत्काल लागू होंगे।

उपक्रम सं० 3608 के अन्तर्गत परन्तुक सं० 3 को निकाल दिया जाएगा।

CORRIGENDUM

No. DRAWBACK/PN-2/72.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extra-Ordinary, dated the 25th August, 1971) the Central Government hereby makes the following correction in the table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-11 dated the 17th November, 1971 with immediate effect:—

For Sub-serial No. 3828 and the entry relating to (iv)(b) for word brass, word 'Bars' shall be substituted.

शुद्धि पत्र

सं० प्रतिअदायगी/पी०एन०-2/72.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (दिनांक 25 अगस्त, 1971 के भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-डी०बी०के०) के नियम 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, दिनांक 17 नवम्बर, 1971 की सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी०एन० 11 में प्रकाशित सारणी में निम्नलिखित संशोधन करती है, जो तत्काल लागू होंगे :—

उपक्रम सं० 3828 तथा (IV) (ख) से सम्बन्धित प्रविष्टि में 'पीतल' शब्द के लिए 'छड़ें' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

No. DRAWBACK/PN-3/72.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extra Ordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 with immediate effect:—

2. For Sub-serial No. 4411 and the entries relating thereto the following shall be substituted, namely:—

Sub-Serial No.	Description of goods	Rates of drawback
1411	(a) Hydraulic batching machines fitted with photoelectric cloth guiders.	7.8 % of the FOB value.
	(b) Hydraulic batching machines when exported without photo to electric cloth guider.	2.5% of the FOB value.

B. N. RANGWANI,
Joint Director (DRAWBACK).

सं० प्रतिप्रदायगी/पी०एन० 3/72.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क प्रतिप्रदायगी नियमावली, 1971 (दिनांक 25 अगस्त, 1971 के भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70—डी०बी०के०) के नियम 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 15 अक्तूबर, 1971 की सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिप्रदायगी/पी०एन०-1 में प्रकाशित सारणी में निम्नलिखित संशोधन करती है, जो तत्काल लागू होंगे :—

1 उपक्रम सं० 4411 तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

उपक्रम सं०	माल का विवरण	प्रतिप्रदायगी की दर
4411	(क) फोटो वैद्युत क्लाय गाइडरों से भरी हुई द्रव चालित बीचिंग मशीनें	पोत पर्यन्त मूल्य का 7.8 प्रतिशत
	(ख) द्रव चालित बीचिंग मशीनें जब कि फोटो वैद्युत क्लाय गाइडर के बिना उनका निर्यात किया जाता है।	पोत पर्यन्त मूल्य की 2.5 प्रतिशत

ह०/- (बी० एन० रायवानी),
संयुक्त निवेशक।

